साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना-21
बिहार सरकार का उपक्रम
CIN No. U40109BR2012SGC018890

संकल्प संख्या 336 / दिनांक 27/04/26 /
SB-II/BHG-Adt.-11908/2022

श्री प्रभात कुमार रंजन, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, नवगछिया सम्प्रति विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, भागलपुर (पूर्वी) से विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर में वर्ष 2019—20 के NIC क्षेत्र में उपभोक्ताओं के खातों में अनुचित समायोजन कर कंपनी को गम्भीर राजस्व क्षति पहुँचाने के आरोपों के लिए पत्रांक—771 दिनांक—01.11.2022 द्वारा आरोप पत्र गठित करते हुए स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री कुमार द्वारा पत्रांक—406 दिनांक—09.11.2022 के माध्यम से स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया। प्राप्त जवाब के सम्यक् समीक्षोपरान्त जवाब स्वीकारयोग्य नहीं पाते हुए श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

तदोपरान्त श्री प्रभात कुमार रंजन, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, नवगछिया सम्प्रति विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, भागलपुर (पूर्वी) के विरूद्ध निम्न आरोपों के लिए संकल्प संख्या 1002 दिनांक 05.12.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई जिसमें श्री सुनील कुमार झा, सेवानिवृत उप विकास आयुक्त को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया :—

श्री प्रभात कुमार रंजन, विद्युत कार्यपालक अभियंता के विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, नवगछिया के पदस्थापन अवधि (दिनांक 05.02.18 से दिनांक 27.01.21 तक) में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर अन्तर्गत उपभोक्ताओं के विपत्र में सहायक विद्युत अभियंता द्वारा अनुचित समायोजन कर कंपनी को कुल रू0 6,64,39,922/— का राजस्व की क्षति पहुँचाने तथा V-Wallet के माध्यम से समाहरित राजस्व राशि का गबन के प्रतिवेदित मामले में निम्नलिखित आरोप परिलक्षित होते हैं :—

(1) विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, नवगछिया का वर्ष 2019—20 का किये गये विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन में पाया गया कि सहायक विद्युत अभियंता द्वारा 168 अदद वैसे उपभोक्ताओं के खाते में रू0 49,12,689/— का समायोजन किया गया जिनका पूर्व में निर्गत विपत्र उचित था एवं उसमें समायोजन की कोई आवश्यकता नहीं थी।

सहायक विद्युत अभियंता द्वारा 90 अद्द वैसे उपभोक्ताओं के खाते में रू0 32,96,276/— का समायोजन किया गया जिसमें महज रू0 05,13,848/— के समायोजन प्रदान करने की आवश्यकता थी। कंपनी के स्थापित नियमों की अनदेखी कर उपभोक्ताओं का रू0 27,82,428/— का अनियमित समायोजन कर कंपनी को गंभीर राजस्व की क्षति पहँचाई गई।

इस प्रकार विद्युत कार्यपालक अभियंता के रूप में उनके द्वारा पर्यवेक्षणीय कर्तव्य/दायित्व में लापरवाही बरतने के कारण सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर द्वारा अनियमितता बरतते हुये कंपनी को गंभीर राजस्व रू0 76,95,117/— की क्षति पहुँचाई गई।

Arjun Singh

(2) विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर अन्तर्गत विद्युत विपत्र में अनुचित समायोजन का विस्तृत जाँच कराया गया। SETIRA Billing Software में उपलब्ध उपभोक्ताओं का Billing Data का विश्लेषण/जाँच में पाया गया कि उपर्युक्त कंडिका–1 में वर्णित राजस्व क्षति की राशि के अलावा वित्तीय वर्ष 2019–20 में अन्य 3233 उपभोक्ताओं के विपत्र में भी अनुचित समायोजन किया गया है। अधिकांश उपभोक्ताओं के विद्युत विपत्र में Reading update, MD Adjustment, Wrong Unit अभियुक्ति देकर अनुचित Manual Adjustment श्री अभिषेक कुमार, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर द्वारा किया गया है। LK Adjustment Billing System (SEITRA) द्वारा स्वतः दिया जाता है परन्तु सहायक विद्युत अभियंता द्वारा LK Adjustment के नाम पर भी Manual Adjustment किया गया। कुल 3233 उपभोक्ताओं के विद्युत विपत्र में कुल रू0 2,91,95,486/– का अनुचित समायोजन कर कंपनी को गम्भीर राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है।

सहायक विद्युत अभियंता द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए तथा उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ पहुँचाते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त रहें। उनके भ्रष्ट आचरण के कारण कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019–20 में राजस्व की गम्भीर क्षति हुई है।

विद्युत कार्यपालक अभियंता के रूप में पर्यवेक्षणीय दायित्वों/कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही के कारण सहायक विद्युत अभियंता द्वारा कंपनी के राजस्व की भारी क्षति की गई।

(3) विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपभोक्ताओं के विद्युत विपत्र में बड़े पैमाने पर अनुचित समायोजन के उदभेदित मामले में वित्तीय वर्ष 2018–19 से दिनांक 23.05.2022 तक की अवधि (2019–20 को छोड़कर) का विशेष अंकेक्षण कराया गया। विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर में विपत्रीकरण का कार्य NIC Software द्वारा संपादित किया जा रहा है। विपत्र चक्र की जाँच से यह स्पष्ट हुआ है कि श्री अभिषेक कुमार, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर द्वारा उनके User iD एवं Password के माध्यम से बेतरतीब एंव मनमानेपूर्ण तरीके से उपभोक्ता के विद्युत विपत्र में राशि समायोजित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक खाते की जाँच में पाया गया कि विद्युत विपत्रों के समायोजनों में कंपनी नियमों की अनदेखी की गई है जिससे कंपनी को विपत्र सुधार के मद में करोड़ो की राजस्व हानि की पुष्टि हुई है। राजस्व हानि की वर्षवार विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	अवधि	उपभोक्ताओं की संख्या	अनुचित समायोजि राशि
1	01.04.18 से 31.03.2019	216	18,06,761/–
2	01.04.2020 से 31.03.2021	4001	2,77,42,558/–
		कुल राशि	**2,95,49,319/–**

विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर में उपभोक्ताओं के विद्युत विपत्र में किए गए उक्त अनुचित समायोजन संबंधित दस्तावेज/संचिका सहायक विद्युत अभियंता द्वारा कार्यालय में संधारित नहीं किया गया।

Arjun Singh

सहायक विद्युत अभियंता अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने User ID एवं Password के उपयोग द्वारा मनमाने तरीके से उपभोक्ताओं के विद्युत विपत्र में अनुचित समायोजन कर उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। उनके भ्रष्ट आचरण के कारण कंपनी की वित्तीय वर्ष 2018–19 से दिनांक 23.05.2022 तक की अवधि (2019–20 को छोड़कर) में से श्री रंजन के पदस्थापन अवधि में रू0 2,95,49,319/– की राजस्व क्षति हुई है।

विद्युत कार्यपालक अभियंता के रूप में इनके द्वारा पर्यवेक्षणीय दायित्व में घोर लापरवाही के कारण कंपनी के राजस्व की व्यापक क्षति हुई।

(4) विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर में संधारित रोकड़बही का अंकेक्षण माह जुलाई 2018 से मार्च 2024 तक का किया गया। रोकड़बही अंकेक्षण क्रम में यह पाया गया कि Billing Agency M/S Mega Caliber द्वारा V–Wallet के माध्यम से समाहरित राजस्व से संबंधित दैनिक संग्रह पंजी (DCR) जो सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर द्वारा ही Download किया जाना था, वह रोकड़पाल को उपलब्ध नहीं कराया गया जिस कारण M/S Mega Caliber द्वारा V–Wallet के माध्यम से समाहरित राजस्व की प्रविष्टि रोकड़बही में तो की गई, परन्तु दैनिक संग्रह पंजी (DCR) से मिलान नहीं किया जा सका। DCR के उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में V–Wallet Report के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि उक्त अवधि में श्री अभिषेक कुमार, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर द्वारा कुल रू0 9,66,63,216/– के V–Wallet के माध्यम से राजस्व समहारण को सत्यापित किया गया था।

सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर द्वारा संचालित Revolving Account N0–50456570048 में Billing Agency M/S Mega Caliber द्वारा दिनांक 01.03.2018 से 31.03.2020 तक विभिन्न तिथियों को कुल रू0 9,47,24,929/– जमा किया गया, जो विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर के खाता में स्थानांतरित किया गया। जबकि श्री कुमार, सहायक विद्युत अभियंता द्वारा कुल रू0 9,66,63,216/– के राजस्व समाहरण का सत्यापन किया गया था। इस तरह समाहरित राजस्व राशि रू0 19,38,289/– का राजस्व गबन हुआ है।

कंपनी मुख्यालय द्वारा निर्गत निर्देश के अनुसार विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, के क्षेत्राधीन V-Wallet से संबंधित कोई अनियमितता/गबन नहीं हो यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी विद्युत कार्यपालक अभियंता की थी। विद्युत कार्यपालक अभियंता के रूप में श्री प्रभात कुमार रंजन की यह जवाबदेही थी कि समय–समय पर अपने क्षेत्राधीन कार्यालयों का निरीक्षण कर अधीनस्थ पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा /पर्यवेक्षण करें। श्री रंजन द्वारा अपने पर्यवेक्षणीय दायित्व के निर्वहण में घोर लापरवाही बरती गयी। श्री रंजन के पर्यवेक्षणीय दायित्व मे विफल रहने के कारण ही सहायक विद्युत अभियंता द्वारा निर्भीक होकर विद्युत विपत्र में अनुचित समायोजन कर कंपनी को गंभीर राजस्व की क्षति पहुँचाई गई।

जोड़क आरोप–

विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर में संधारित रोकड़–बही का अंकेक्षण माह जलाई 2018 से मार्च 2024 तक किया गया। अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या–04/2024–25 में विद्युत आपूर्ति अवर

Arjun Singh

प्रमंडल, बिहपुर अन्तर्गत V-wallet द्वारा समाहरित राजस्व राशि रू0 19,38,289/– (रूपया उन्नीस लाख अड़तीस हजार दो सौ नवासी) की राजस्व हानि प्रतिवेदित की गयी थी।

कालांतर में V-wallet द्वारा समाहरित राजस्व की जाँच के दायरे में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, नवगछिया को शामिल किया गया तथा संबंधित आँकड़े SCADA कंपनी मुख्यालय, पटना से प्राप्त किए गए। SCADA कंपनी से प्राप्त आँकड़े पूर्व के आँकड़ों से भिन्न थे। जिसके अनुसार विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बिहपुर में M/S Mega Caliber द्वारा दिनांक 28.05.2018 से दिनांक 31.01.2020 तक V-wallet के माध्यम में कुल रू0 9,72,02,555/–(रूपया नौ करोड़ बहत्तर लाख दो हजार पाँच सौ पचपन) का राजस्व समाहरण किया गया। जिसमें से रोकड़बही के अनुसार कुल रूपया 9,47,24,929/– (रूपया नौ करोड़ सैंतालीस लाख चौबीस हजार नौ सौ उनतीस) कंपनी के बैंक खाता में जमा कराई गई। इस तरह समाहरित राजस्व राशि रूपया 24,77,626/– (रूपया चौबीस लाख सतहत्तर हजार छह सौ छब्बीस) का राजस्व गबन हुआ।

गठित प्रपत्र ''क'' के क्रम संख्या– 3 में वर्णित आरोप में रूपया 19,38,289/– (उन्नीस लाख अड़तीस हजार दो सौ नवासी) की राजस्व हानि बढ़कर रूपया 24,77,626/– (चौबीस लाख सतहत्तर हजार छह सौ छब्बीस) की राजस्व हानि हुई है।

जाँच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही की जाँच प्रक्रिया पूर्ण कर पत्रांक–118 दिनांक 23.07.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा श्री प्रभात कुमार रंजन के विरूद्ध लगाये गये आरोप संख्या 01, 02, 03 को आंशिक प्रमाणित आरोप संख्या 04 एवं जोड़क आरोप को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन, उपलब्ध अभिलेखों एवं गवाहों के बयान के सम्यक् समीक्षोपरान्त जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए संकल्प संख्या 882 दिनांक 13.10.2025 द्वारा प्रमाणित पाये गये सभी आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया।

श्री रंजन के द्वारा पत्रांक 1310 दिनांक 18.10.2025 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

श्री रंजन द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि इनके पर्यवेक्षकीय कमी के कारण ही सहायक विद्युत अभियंता द्वारा मनमाने तरीके से घोर अनियमितता बरतते हुये कंपनी को करोड़ों रूपये के राजस्व की क्षति पहुँचाई गई। इनके द्वारा आरोपो से बचने का प्रयास करते हुये सिर्फ सहायक विद्युत अभियंता के विरूद्ध आरोपों को मढ़ने का प्रयास किया गया है, जबकि सहायक विद्युत अभियंता इनके सीधे नियंत्रण में थे।

इस प्रकार उक्त मामले में सहायक विद्युत अभियंता के कार्यो के पर्यवेक्षणीय कमी के लिए पूर्ण रूप से वे जिम्मेवार है।

V-wallet के माध्यम से समाहरित राजस्व राशि कंपनी के खाते में कम जमा करने के कारण कंपनी को कुल रू0 24,77,626/– के हुये राजस्व गबन में इनके द्वारा अपने जवाब में

Arjun Singh

उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया, जो जाँच पदाधिकारी के समक्ष लिखित बचाव/बयान में समर्पित किया गया, जिसके आलोक में जाँच पदाधिकारी द्वारा उक्त आरोप अप्रमाणित पाये जाने का निष्कर्ष दिया गया। उक्त अप्रमाणित आरोप के संबंध में महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना द्वारा मंतव्य दिया गया कि V-wallet के माध्यम से समाहरित राजस्व राशि रू0 24,77,626/– का स्थायी गबन हो चुका है। चूँकि श्री रंजन, विद्युत कार्यपालक अभियंता के रूप में पदस्थापित थे, जिनके पर्यवेक्षकीय कमी के कारण ही श्री अभिषेक कुमार, सहायक विद्युत अभियंता द्वारा उक्त स्थायी गबन को अंजाम दिया गया। V-wallet के माध्यम से समाहरित राजस्व राशि को कंपनी के खाते में जमा कराने की जिम्मेवारी प्रमंडल स्तर की भी होती है।

इस प्रकार श्री रंजन की पर्यवेक्षणीय कमी के कारण सहायक विद्युत अभियंता द्वारा उक्त स्थायी गबन को अंजाम दिया गया। श्री रंजन का जवाब असंतोषप्रद है एवं स्वीकारयोग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त के आधार पर श्री रंजन के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के आलोक में पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को असंतोषप्रद/अस्वीकारयोग्य पाते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री प्रभात कुमार रंजन, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, नवगछिया सम्प्रति विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, भागलपुर (पूर्वी) को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है :–

(i) ''निन्दन'' (घटना वर्ष 2020–21)

तदनुसार श्री प्रभात कुमार रंजन, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, नवगछिया सम्प्रति विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, भागलपुर (पूर्वी) को निम्न दण्ड दिया जाता है :–

(i) ''निन्दन'' (घटना वर्ष 2020–21)

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत संकल्प की प्रति श्री प्रभात कुमार रंजन, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, नवगछिया सम्प्रति विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, भागलपुर (पूर्वी) को उपलब्ध करा दी जाय।

सक्षम प्राधिकार के आदेश से,

Illuminating lives...

ह0/–

(शत्रुघ्न कुमार सुमन)
अवर सचिव

ज्ञापांक....................../ दिनांक....................../

निबंधित

प्रतिलिपि– श्री प्रभात कुमार रंजन, विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, भागलपुर (पूर्वी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शत्रुघ्न कुमार सुमन)
अवर सचिव

Arjun Singh

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना-21
बिहार सरकार का उपक्रम
CIN No. U40109BR2012SGC018890

ज्ञापांक 337 / दिनांक 27/04/26 /

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, पेसू क्षेत्र, पटना/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/महाप्रबंधक (राजस्व), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना /उपमहाप्रबंधक–सह–विद्युत अधीक्षण अभियंता, सभी विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/विद्युत अधीक्षण अभियंता/लेखा पदाधिकारी (लेखा), सभी विद्युत आपूर्ति अंचल/विद्युत कार्यपालक अभियंता, सभी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल/सभी उपमहाप्रबंधक/सभी उप सचिव/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी अवर सचिव/ डी0बी0ए0 (आई0टी0)/लेखा पदाधिकारी (स्थापना/वेतन पर्ची)/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–I, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. डी0बी0ए0 (आई0 टी0) से अनुरोध है कि इस संकल्प आदेश की प्रति कंपनी के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें।

24/4/26

(शत्रुघ्न कुमार सुमन)
अवर सचिव

साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना-21
Email ID- md.sbpdcl@gmail.com; Ph. No. 0612-2504045; Fax No. 0612-2504532.